उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

संख्या : 2195/69-1-2001-4(एल)/2001 लखनक दिनांक 02 अगस्त, 2001

अधिसूचना

बूँकिः राज्य सरकार की राय में, पर्यावरण और लोक स्वास्थ्य के संरक्षण और सुधार के लिये, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, जहाँ जल प्रवाहित शौचालयों के प्रयोग की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान है, मानव निष्ठा को शारीरिक रूप से होने के लिये व्यक्तियों को लगाने और नियोजित करने से और शुष्क शौचालयों का निर्माण करने और अनुरक्षण कराने से प्रतिषिद्ध करना आवश्यक और समाचीन हैं।

अतिएव अब सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सिन्मर्गण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (अधिनियम संख्या-46 सन, 1993) को धारा-3 की उपधारा-2 के उपबंधों के अनुसरण में राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के सरकारी बजट में प्रकाशन के दिनांक से नब्बे दिनों की अविध के पश्चात, राज्य सरकार उक्त धारा को उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, उस दिनांक को विनिर्दिष्ट करने हेत् एक अधिसुचना जारी करना चाहती है जिस दिनांक से उक्त प्रतिषेध प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से (एस. आर. लाखा)

सचिव

संख्या : 21950/69-1-2001-4(एल)/2001, तद्दिनांक

- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
- 4- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 5- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ।
- निरंशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना का व्यापक प्रचार कराने का कष्ट करें।
- 7- महानिदेशक, पुलिस/समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
- 8- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, 30प्र0।
- 9- समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- 10- समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, उ०प्र0।
- 11- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं टाउन एरिया।
- 12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायत राज्य अधिकारी, उ०प्र०।
- 13- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, इलाहाबाद को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ।
- 14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एस. आर. लाखा) सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

Nagariya Rozgar Evam Garibi Unmulan Karyakram Anubhag

In Pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication, the Governor is pleased to order the publication, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2195/69-1-2001-4(L)/2001 dated 02 August, 2001.

NOTIFICATION

No. 2195/69-1-2001-4(L) /2001 Dated, Lucknow 02 August, 2001

Whereas the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to prohibit the engagement or employemnt of persons for manually carrying human excrete, and construction and maintanance of dry latrine for the protection and improvement of the environment and public health in the whole of Uttar Pradesh were adequate facilities for the use of water sealed latrines exist:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 3 of the Employment of Manual scavengers and construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Act no. 46 of 1993), the Governor is pleased to notify for the information of general public that the state government intends to issue after the period of ninety days from the date of publication of this notification in the official Gazette, a notification in exercise of the powerunder sub-section (I) of the said section to speify the date with effect from which the aforesaid prohibition shall be enforced.

By order, (S.R.LAKHA) Secretary